राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांकः प.10(न.पा.)(गठन)(सीमावृद्धि)डीएलबी/25/13421 दिनांकः 1/9/2025

अधिसूचना

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप–धारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप–धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **नगर निगम जयपुर ग्रेटर** की वर्तमान सीमा क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने वाले नवीन सीमा क्षेत्र का विवरण निम्न प्रकार से हैं:–

क्र.सं.	जिला	नगर निगम का नाम	नगर निगम में शामिल ग्राम पंचायत/राजस्व ग्राम की सीमा क्षेत्र का विवरण एवं जनसंख्या
01.	जयपुर	जयपुर ग्रेटर	ग्राम पंचायत सरना डूंगर का राजस्व ग्राम चक बावडी एवं बासड़ी का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं ।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर)
निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

क्रमांकः प.10(न.पा.)(गठन)(सीमावृद्धि)डीएलबी/25/13422-13440 दिनांकः 1/9/2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
02. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
03. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
04. अध्यक्ष, राज्य वित आयोग, राज. जयपुर।
05. सचिव/उपसचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज. जयपुर।
06. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
07. सचिव/आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जयपुर को प्रेषित कर निवेदन हैं कि उपरोक्त नगर निगम/परिषद/पालिका में सम्मिलित/पृथक किये गये ग्राम पंचायत क्षेत्र को पंचायत समिति में सम्मिलित/पृथक किये जाने के संबंध में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिव को अधिसूचना की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
08. निदेशक, जनगणना विभाग, राज. जयपुर।
09. संभागीय आयुक्त, **जयपुर**।
10. जिला कलक्टर **जयपुर** को भेजकर निवेदन हैं कि नगर निगम जयपुर ग्रेटर की सीमा क्षेत्र एवं ग्राम पंचायत सीमा क्षेत्र के संदर्भ में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाकर पालना सुनिश्चित की जावें एवं विभाग को अवगत कराने का श्रम करावें। संबंधित सरपंच/उपसरपंच एवं वार्ड सदस्यों को अधिसूचना से सूचित कराया जावें।